' pension Schemes with verying eligibility criteria and pension rates.

Non Payment of dues to retiring employees of U.P. Export Corporation

5896. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LAHOUR be pleased to refer to Unstarred Question 926 given in the Rajya Sabha on 20th March, 1995 and state:

(a) whether it is a fact that employees retiring from the U.P. Export Corporation Limited cither in their Head Office or in Branches are not being given their final dues due to various defaults in PF Accounts;

(b) whether final steps have been taken both by the UPEC Limited and RPFC, Uttar Pradesh for transferring the PF accumulations at the earliest;

(c) whether any other proceeding under the law have been initiated against the management for such serious defaults or not;

(d) whether Government would direct the Corporations to .finalise the dues of the retired employees immediately;

(e) the number of employees of the UPEC Limited retired from the strength of its H.O. and branches scparetely and the time to be taken further for settlement of final dues; and

(f) the details of further steps to be taken in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) to (f) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due

I.T.I, for Women in Gujarat

5897. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKIA: Will the Minister of LAHOUR be pleased to state:

(a) The details of the LT.I's for Women proposed to be opened in Gujarat District-wise;

(b) The time by which these I.T.I"s are likely to be started;

(c) The total expenditure to be incurred there on.

(d) The number of Women candidates are likely to be benefited each year?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) to (d) State Govt, of Gujarat has not proposed setting up of any I.T.I for Women in their State during the year 1995-96.

गुजरात में कपड़ा मिलों का बंद होना

5898. **श्री अनन्तराम जायसवाल:**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में बंद पड़ी कपड़ा मिलों की संपत्ति जब्त करने से संबंधित एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उक्त मिलों की संपत्ति जब्त करने के क्या कारण दिये गये है और उक्त मिलों के कार्यरत मजदूरों को किए जाने वाले भुगतान के मद्देनजर सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया है अथवा लिए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) और (ख) गुजरात सरकार ने 168.37 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता की मांग की है ताकि वह 19 बंद पड़ी परिसमापन अधीन कपड़ा मिलों, जिनमें से 14 मिलें अहमदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में स्थित हैं, को शामिल करके एक विस्तृत क्षेत्रीय पुनर्सृजन योजना शुरू कर सकें।

इस प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य-मुख्य बातें हैं:—

(क) राज्य सरकार के एक अध्यादेश के तहत 19 बंद पड़ी कपड़ा मिलों को अपने अधिपत्य में लेना।

(ख) बंद कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को कानूनी राशि की अदायगी करना।

(ग) निम्नलिखित विशिष्टताओं वाली एक क्षेत्रीय पुनर्सृजन योजना का कार्यान्वयन करना;

(i) परिसम्पत्ति का पुनर्निर्माण और स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देना।

(ii) बेरोजगार हुए कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण; और

(iii) बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों का उपयोग।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता राशि संबंधी स्वीकृति से संबंधित संचालनात्मक कार्य पूरा हो जाने पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

श्रमिकों की समस्याओं संबंधी त्रिपक्षीय समिति का प्रतिवेदन

5899. श्री ईश दत्त यादव:
श्री आस मोहम्मद:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपक्षीय समिति ने श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) से (ख) श्रम संबंधी नई औद्योगिक नीति के प्रभाव और अन्य संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए श्रम मंत्रालय ने 12 नवम्बर, 1991 को एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया था। 21.12.93 को आयोजित समिति की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि उन उद्योगों जिनमें रुग्णता बार-बार हो जाती है, से संबंधित त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों को पुनर्जीवित किया जाए ताकि वे उपचारात्मक और निवारात्मक उपायों का सुझाव दें।

विशेष त्रिपक्षीय समिति के निर्णय के आधार पर निम्नलिखित छः औद्योगिक समितियों को पुनर्जीवित किया गया जिनके नाम हैं: सूती कपड़ा, जूट, रसायन, इंजीनियरी, विद्युत (उत्पादन और संवितरण) और सड़क परिवहन संबंधी औद्योगिक समिति।

विशेष त्रिपक्षीय समिति और छः औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियां रुग्णता, औद्योगिक पुनर्संरचना से संबंधित विषयों तथा कर्मकारों की समस्याओं से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करती रही है। उनकी सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों को यथासमय सूचित कर दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

Construction of Central Board for Workers Education Headquarters

5900. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) when did the foundation stone of Central Board for Workers Education Headquarters was laid down;

(b) what was the estimated cost of the building;

(c) whether the construction took place, if so, when and what is the present stage in which the work is pending;

(d) by when it will be over;

(e) what will be its cost then; and

(f) who is responsible for any delay with regard to this project and what action is being taken against him?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) to (f) The foundation stone of the Central Board for Workers' Education Headquarters building was laid on 2.8.1990. The CPWD initially estimated the cost of its construction at Rs. 127.88 lakhs. The construction commenced in December 1991 and the possession of the building has been taken over the April, 1995. The construction has been completed at a cost of Rs. 213.29 lakhs. The escalation in the cost of construction is on account of construction of additional area and increase in the cost of construction index.

Recommendations of Sub-Committee of the Consultative Committee

5901. SHRI GURUDAS DAS GUP TA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state that the response of Government to the recommendations of the Sub-Committee of the Consultative Committee of Ministry of Labour on Provident Fund default?